

प्रेषक,

अजय दीप सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास
परिषद, लखनऊ।
- (2) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
- (3) अध्यक्ष,
समस्त विशेष विकास क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक

21 नवम्बर, 2011

विषय : कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत सम्पत्तियों के रजिस्ट्री लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश सं० 1118/आठ-1-10-57डी०ए०/02 दिनांक 11.03.10 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2. उपर्युक्त विषयक कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-क०नि०-5-3757/11-2010-500(100)/08 दिनांक 16.11.11 सपठित अधिसूचना संख्या-3066/11-5-2009-500(100)/08 दिनांक 12.06.09 व अधिसूचना संख्या-क०नि०-5-1072/11-2010-500 (100)/08 दिनांक 10.03.10 की छायाप्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना के माध्यम से स्टाम्प शुल्क में देय छूट का वेबसाइट और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आवंटियों को रजिस्ट्री कराने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाया जाय तथा आवास एवं विकास परिषद/प्राधिकरण स्तर पर इसकी प्रतिदिन समीक्षा करते हुए अपनी प्रगति रिपोर्ट आवास बन्धु को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-3998(1)/आठ-1-2011, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 को अधिसूचना संख्या-क०नि०-5-3757/11-2010-500(100)/08 दिनांक 16.11.11 के सन्दर्भ में।
2. महानिरीक्षक, निबन्धन एवं पंजीयन, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना आवास बन्धु की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धितों को सूचित करें तथा अभिकरणों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर विभागीय समीक्षा बैठक में सचिव/ प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत करें।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव

3998/अ.ठ-1-11

उत्तर प्रदेश शासन
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

संख्या:क0नि0-5-3752/11-2010-500(100)/2008
लखनऊ, नवम्बर 16, 2011


अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या:- 3066/11-5-2009-500(100)/2008 दिनांक 12 जून 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में जहाँ कहीं भी शब्द और अंक "31 मार्च, 2010" आये हैं, उनके स्थान पर शब्द एवं अंक "31 मार्च, 2012" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से


(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

तुरन्त
श्री सिंह
12.11.11

संख्या-क0नि0-5- 3757 / 11-2011-500(100)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि, अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे दिनांक 16 नवम्बर 2011 के असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड-(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात् गजट की 50 प्रतियाँ शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियाँ महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-क0नि0-5- 3757 / 11-2011-500(100)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि, हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- 8- महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी, समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को इसकी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें, साथ ही कृपया उन्हें यह भी निर्देशित करें कि सम्बन्धित जनपद के उप निबन्धकों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 9- आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
- 10- निदेशक, सूडा नवचेतना भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
- 11- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, लखनपुर, कानपुर नगर।
- 12- निदेशक, उद्योग निर्देशालय, कानपुर नगर।
- 13- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 14- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, सूचना निदेशालय, लखनऊ।
- 15- अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 16- शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 17- विधायी, अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-5

The Governor is pleased order the publication of the following English translation of notification S.V.K.N.-5- 3757 /XI-2010-500(100)-2008 dated November 16, 2011 for general information.

NOTIFICATION


No.S.V.K.N.-5-3757 /XI-2010-500(100)-2008
Dated Lucknow, November 16 , 2011

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no.2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in the Government notification no.-3066/XI-5-2009-500(100)-2008, dated June 12, 2009 as amended from time to time.

AMENDMENT

In the aforesaid notification for the word and figures "March 31, 2010" wherever occurring, the word and figures "March 31, 2012" shall be substituted.

By Order


(Virendra Pratap Singh)
Vishesh Sachiv

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या-क0नि0-5-1072/11-2010-500(100)/2008
लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2010

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-3066/11-5-2009-500(100)/2008 दिनांक 12 जून, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जाएंगे:-

“परन्तु उन आवंटियों, जिनके लिए छः माह की अवधि व्यतीत हो चुकी है या दिनांक 31 मार्च, 2010 के पूर्व समाप्त होने वाली हो, के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क से छूट की समय-सीमा दिनांक 31 मार्च, 2010 तक बढ़ाई जाती है:

परन्तु यह और कि जहां विक्रय/लीज का अनुबंध आवंटन पत्र के निर्गत होने के दिनांक से छः माह के अन्दर निष्पादित करा लिया गया है, उनको स्टाम्प शुल्क से छूट तभी अनुमन्य होगी जब आवंटी कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्गत पत्र की तिथि से तीन माह के अन्दर अथवा वास्तविक कब्जा पाने की तिथि तक, जो भी पहले हो, विक्रय/लीज का विलेख निष्पादित करा लेता है:

परन्तु यह भी कि यदि किसी आवंटी ने इस अधिसूचना के अनुसरण में विक्रय या पट्टे के अनुबंध को निष्पादित करा दिया है, तो उस पर द्वितीय प्रतिबंध के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।”

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-क0नि0-5-1072⁽¹⁾/11-2010-500(100)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि, अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे दिनांक 10 मार्च, 2010 के असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड-(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात गजट की 50 प्रतियाँ शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियाँ महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

संख्या-क0नि0-5-1072⁽²⁾/11-2010-500(100)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि, हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
- (8) महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रदेश के समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) तथा उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को इसकी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें, साथ ही कृपया उन्हें यह भी निर्देशित करें कि सम्बन्धित जनपद के उप निबन्धकों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (9) आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
- (10) निदेशक, सूडा नवचेतना भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
- (11) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, लखनपुर, कानपुर नगर।
- (12) निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर नगर।
- (13) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (14) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (15) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, सूचना निदेशालय, लखनऊ।
- (16) अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यु, लखनऊ।
- (17) शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (18) विधायी, अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

**UTTAR PRADESH SHASAN
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG -5**

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.S.V.K.N.-5-1072 /XI-2010-500(100)-2008 dated March 10, 2010 for general information:-

NOTIFICATION

No.S.V.K.N.-5-1072 /XI-2010-500(100)-2008
Lucknow, Dated March 10, 2010

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section(1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1987), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no.-3066/XI-5-2009-500(100)-2008 dated Lucknow June 12, 2009:-

AMENDMENT


In the aforesaid notification, the following provisos shall be inserted at the end;-

“Provided that, in case of those allottees for whom the six months period has expired or to be expired before March 31, 2010, the time limit for the exemption from the stamp duty is extended up to March 31, 2010:

Provided further that, where the agreement to sell / lease has been executed within six months from the date of issuance of allotment letter, the remission in stamp duty shall be available only when the allottee gets the sale / lease deed executed within three months from the date of the issuance of the possession letter or upto the date of getting actual possession, whichever is earlier:

Provided also that the provision of second proviso shall not be applicable in cases where an allottee has got the agreement to sell / lease already executed in pursuance of this notification”

By order


Virendra Pratap Singh
Vishesh Sachiv.